रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 1976/पौष 18, 1897

No. 15] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 1976/PAUSA 18, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 8th January 1976

G.S.R. 17(E)—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Third Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in clause (b) of rule 68, for the words "one side of the inner tray and a part of the rear or bottom of the outer box", the words "one side of the inner tray and a part of the rear or bottom or front or top of the outer box" shall be substituted.

[No. 7/76]

P. C. JAIN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 17 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तृतीय संशोधन) नियम, 1976 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम, 68 के खण्ड (ख) में "वहां आंतरिक ट्रे की एक साइड और बाहरी बाक्स का पीछे का या सतह का भाग" शब्दों के स्थान पर, "वहां आंतरिक ट्रे की एक साइड और बाहरी बाक्स का पीछे का या सतह का या सामने एक का या शीर्ष का भाग" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 7/76]

पी० सी० जैन, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976